

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(आर-100) अलेसे-I/1457-63

दिनांक:- 28/10/2022

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 974 दिनांक 24.08.2022 द्वारा श्री रतन सिंह मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (निलम्बित), हाल मुख्यालय-कोषाधिकारी, धौलपुर को न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में गिरफ्तारी दिनांक 14.07.2022 से निलम्बित किया जाकर निलम्बन काल में मुख्यालय कोषालय, सिरौही किया गया था। तत्पश्चात् निदेशालय के आदेश संख्या 75/2022-23 दिनांक 09.09.2022 द्वारा श्री मीणा का मुख्यालय कोषालय, सिरौही से कोषालय, धौलपुर किया गया।

श्री मीणा को उक्त निलम्बन अवधि के निर्वाह भत्ते का भुगतान कोषाधिकारी, सिरौही द्वारा नहीं किए जाने के कारण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत श्री मीणा को उक्त अवधि में देय निर्वाह भत्ते के भुगतान की स्वीकृति कार्यालय कोषालय, धौलपुर से एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(आर-100) अलेसे-I/1457-63

दिनांक:- 28/10/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 कोषाधिकारी, धौलपुर/सिरौही।
- 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 3 श्री रतन सिंह मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (निलम्बित), मुख्यालय-कोषाधिकारी, धौलपुर।

4 निजी सचिव, निदेशक महोदय।

5 उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।



(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)